

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता. प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग (चमोली)। Office of the Executive Engineer, P.D, P.W.D. Karanprayag



E-Mail: eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक *99 4/* 10एल.ए.

दिनांक /6/5/2024

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,

गोपेश्वर।

विषय:-

जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में घाट-रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरूड़ से क्ण्डबगड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.81 है. वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो

हेत् लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः

अपर वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फाफरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2912/एफ.यू./यू.के./रोड़/ 18867/2016

देहरादून दिनांक 24-06-2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1364(1) / X-4-18 / 1(224) / 2018 दिनांक 31-12-2018 द्वारा विषयक मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक में उत्तराखण्ड शासन द्वारा दी गई शर्ती की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् प्रेषित है:-

क्र॰स॰	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आरपास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एंव 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	की धनराशि की आरुटा जा एस के माध्यम से 150896118867110 में जमा कर दी गई है। (संलग्न–1)
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माः उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 2020/1995 के अन्तग्रत आई.ए.सं.—566 एंव भारत सरकार के पत्र सं. 5—3/2007—ए.सीः दिः 05—02—2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनःपीःवीः) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	के माध्यम से 150896118867110 में जमा कर दी गई है। (संलग्न–1)
3.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन पी वी की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	जाएगी। (संलग्न-1)
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं. 573/2007 एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन.पी.वी. तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं.— एस.बी25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स फेज-1, लोधी रोड़ नई दिल्ली- 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रसताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा करी गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन.पी.वी.,	संलग्न कर दी गई है। (संलग्न–1)

	क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आसपास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एंव भू—बैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एंव भू–बैज्ञानिक के सुझावों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
6.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	संलग्न कर दिये गये है। (संलग्न–5)
7.	प्रयोक्ता एजेंसी प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्तो का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एंव वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त का अधिकार सुरक्षित है।	जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एंव भू–बैज्ञानिक के सुझावों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
8.	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन के पश्चात् प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	_

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तो की अनुपालन आख्या तैयार कर ई—पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय क्षिप्त हुन निक्षिप्त वर्मा) अधिशासी अभियन्ता प्राचीप खण्ड लो निक्षिक, कणप्रयोग।

पत्रांक

/ 10एल.ए.

दिनांक

/ /2024

प्रतिलिपि:— अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि:— जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त, लो.नि.वि., गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ

प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि., कर्णप्रयाग। प्रतिपर्णं/Counterfoil आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन Application for RTGS/NEFT Remittance

ि भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

Received From EX-Eng P.D
P. W. D. Kayan prayabund किया

केकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए
By Chequity canada for RTGS/NEFT

पर/on
केक Bank END N BANK
शास्त्रा/Branch LO DHS COMPLEX NEW
DELMI
के पक्ष में/Favouring

UTTARANCHAL COMPI

IFSC Code
UBIN0903710

Ac No. 15089(110867110

RTM (रूपये)/Amount र 665270

करपये (श्राह्म में)/ Rupees (in words) STE Lakh
END Tye Thousand Twa
Hundred and Seventy only

अधिशासी अमियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोठनि०बि० कर्प्रायाग

अविहस्तासदित

AGENCY COPY







NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date: 29-06-2021

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6118867110
MoEF/SG File No.	1(224)/2018
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division, PWD, Karanprayag, Distt Chamoli (Uttarakhand)Chamoli
Amount(in Rs)	665270/-

Amount in Words: Six Lakh Sixty-Five Thousand Two Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	y Name: UTTARANCHAL CAMPA	
IFSC Code:	UBIN0903710	
Pay to Account No.	150896118867110 Valid only for this challan amount.	
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003	

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY







NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date: 29-06-2021

Agency Name.	PUBLIC WORKS
	DEPARTMENT
Application No.	6118867110
MoEF/SG File No.	1(224)/2018
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division, PWD,
• -	Karanprayag, Distt
	Chamoli (Uttarakhand)
	Chamoli
Amount(in Rs)	665270/-

Amount in Words :Six Lakh Sixty-Five Thousand Two Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896118867110
	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर। का संख्या कि प्रभाग

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in दिनांक पत्रांक 🗐 🗎 गोपेश्वर, / 12-1

Phone no- 01372—252175 प्राप्ति तिकि 10/061 2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,

पानीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,

जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में घाट रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरूड़ से कुण्डबगड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.810 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विमाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4 उत्तराखण्ड शासन का पत्र सं0 1364/x-4-18/1(224)/2018 दिनांक 31.12.2018

संदर्भः-महोदय,

विषय:--

उपरोक्त विषयक प्रकरण में वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4 उत्तराखण्ड़ शासन के संदर्भित पत्र द्वारा सैद्वान्तिक स्दीकृति भारत सरकार पर्यावरण एव वन मंत्रालय के पत्र सं० एफ०न०—11—09/98एफ०सी० दिनांक 13.002.2014 एवं 18 दिसम्बर 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। शर्तो में अधिरोपित नियमों के तहत धनराशि की डिमाण्ड मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

- 1. शर्त संख्या–1 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु धनराशि रू० 1210.00 प्रति दर से रू० 1,21,000.00(रू० एक लाख इक्कीस हजार) मात्र जमा की जायेगी।
- 2. शर्त सं0 2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रालय, नई दिल्ली के पत्र 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार रू0 5,32,170.00 (रू0 पांच लाख बत्तीस हजार एक सौ सत्तर) जमा की जायेगी।

3— शर्त सं0 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की दर में जो बढ़ोत्तरी होती है उसे जमा करने की बचनवद्वता का

प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

4— शर्त सं0—4 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त संo 01 एवं शर्त संo 02 में दी गई धनराशि का भुगतान Online Portal के माध्यम से किया जायेगा।

5— शर्त सं0 5 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू—वैज्ञानिक क्रे सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

6— शर्त सं0—06 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण–पत्रों को

उपलब्ध कराया जाना होगा।

7— शर्त सं0—07 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

अतः आप उक्त डिमाण्ड मांग पत्र को ऑन लाईन अपलोड करते हुए नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन होने पर ऑनलाईन चालान से ही धनराशि ADhoc कैम्पा में जमा करते हुए सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार संलग्नको सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्ती की पूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सकें।

(अमित कंवर) प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन् प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक

दिनांकित।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को

स्चनार्थ प्रेषित।

आवश्या अधवाह

(अमित कंवर) प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता रीय खण्ड लो०नि०वि० . प्रेषक,

सुभाष चन्द्र, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादूनः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2018

विषयः जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में घाटी-रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरूड़ से कुण्डबगड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.81 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या—807 / 1जी—FP/UK/ROAD/18867/2016 दिनांक 05 सितम्बर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में घाटी-रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरूड़ से कुण्डबगड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.81 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विमाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0न0-11-09 /98-एफ0 सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्ती / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित

करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०–566 एवं भारत सरकार पत्र सं०–5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05. 02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि

3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं० 5—3 / 2007—एफ0सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के सं0—एस0बी0—25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट / चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं

भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

6. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।

7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय, (सुभाष चन्द्र) अपर सचिव।

संख्याः / 364(1) / X-4-18 / 1(224) / 2018, तददिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
- 4. जिलाधिकारी, चमोली।
- 5. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
- 🔑 अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग, चमोली।

7. गार्ड फाईल।

Chile !

and water

(आर०के० तोमर)

संयुक्त सचिव।

परियोजना का नाम:— जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट—रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरूड़ से कुण्डबगड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.81 हैक्टेयर वनभूमि का हस्तान्तरण ।

एन.पी.वी. जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त प्रकरण मे एन॰पी॰वी॰ की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा॰ उच्चतम न्यायालय द्वारा एन॰पी॰वी॰ की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है, तो एन॰पी॰वी॰ की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अमीन लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग ्रि कनिष्ठ अभियन्ता लो०नि०वि० कर्णप्रयाग सहायक अभियन्ता लो०नि०वि० कर्णप्रयाग

अधिशासी अभयन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० कर्णाप्रयाग परियोजना का नाम:— जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में घाट—रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरूड़ से कुण्डबगड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.81 हैक्टेयर वनभूमि का हस्तान्तरण ।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित मार्ग के निर्माण के पश्चात सड़क के दोनों तरफ आस—पास के रिक्त स्थानों पर यथा सम्भव विभाग अपने व्यय पर वृक्षारोपण करेगा।

अमीन लो**0**नि0वि0 कर्णप्रयाग

कनिष्ठं अभियन्ता लो०नि०वि० कर्णप्रयाग सहायक अभियन्ता लो०नि०वि० कर्णप्रयाग

अधिशासी अभयन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० कूर्णप्रयाग

प्रपत्र- 23.1

परियोजना का नाम:- जनपद -रामोली के विनास भवा द्याह में दाह-शामा भीटर

उत्तराखण्ड में जनपद स्थानी अन्तर्गत क्रिड में अप्रद्या के भार भार के सिविल तेमार्च परियोजना के निर्माण हेतु ... है० आरक्षितवनभूमि ०:८१० है० सिविल सोयमभूमि है० वनपंचायत भूमि अर्थात कुल ०:३१० है० वनभूमि का कि किन विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तृत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कि है। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर ऑदिवासी का कब्जा / कृषि कार्यनहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि के जिल्ला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्राव क्षेत्र क्षेत्र

E THE STATE OF THE

नोट:— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी की उपलब्ध कराया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीस खण्ड लो**०नि०बि०** कर्णप्रयाग

दिनांक 24-02-16 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत क्रिक्ट भूमकोट क्रिक्टलनाड

क्रमांक	ग्रामसभा में उ्पस्थित वृरिष्ठ ग्रामवृासिय़ों के नाम	हस्ताक्षर
N/ 114/		21000
	Sure Barryhi Dulys	
	SMIT 310 5/0 18 9298 27 315	
	क्रक्ते अभिकारक है।	in auxus m
	1 21 - d ot 1115 2/2 5/111 4/10 2119	Sand)
	द्वेन्द्रप्रसाद जांड. डा. नरेन्य्रमाद गए	Agores -
	(अवन्य प्राविगाँड अरु स्व! टार्मकारोड	Every:
	4 4) 194 (4810/35/069631not)(1)	31779(4115
	1 -31211A BLOIGIONOUNT.	M Saul
	रावारा न्यार के क्रांट्न प्रियाद गाँउ	Atracio
	21ane -13 20 70 70 70 2416 2113	
	ETCY THE SAY	frank por
	19/10/10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	3 mil
	₹ v	EM
	90011/18 7/30	CM GU/ 3
	421410 Nich 31276	3
	क्रिकार आगर दिन अगति (म आगर	1 7 Shaw
	3 PM ARE TO THE STEP IN S	State
	All AISI 1845 STOPY 37219 VARS	नामाहरायल
	1) STOUNDE SHOTT STOUNDE	Doney
-	अने अनान सिंह 5/09 किते सिंह	Jan 1
	of lucharde 2 and So Eas/SHINITE	90 Williamilier

ह0 ∕ − ਗੁਸ਼ਾਲਗੁਰ

ग्रामप्रधान मिहरताहार

sted

अधिशासी अभियन्ता प्रात्तीय खण्ड लोठनिठवि० कर्णप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र वन पंचायत सरपंच द्वारा

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० कर्णप्रयाग।

विषय:- जनपद चमोली में आहे - राम्न की भोद्र आर्ग के आप कर में के कि वर्ग मोटर मार्ग निमार्ण हेतु....................... है० वन पंचायत भूमि लोक निर्माण विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम क्रिस्ट पंचायत की कुल है। अतः कमेटी द्वारा अनापित प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। अतः कमेटी द्वारा निर्गत अनापित प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। अतः कमेटी द्वारा निर्गत अनापित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

वार्गित्यात्व श्रेषाश्चिति । अस्ति ।

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोठनि०वि० कर्णप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

क्रासं का नाम हिल्लाक्षर नाम नाम हिल्लाक्षर नाम नाम निर्मा का नाम निर्म का नाम निर्मा का नाम निर्म का नाम निर्मा क

" प्रकार प्रमह " प्रकार प्रमह " प्रकार प्रमह

HCIL-11 Ad

58

य ना यीर यह

संस्थित वहाती)

अधिशासी अभियन्ता प्रान्धीय स्वण्ड लोठनिठवि० कर्षाप्रसम **уч**я— **23**.2

परियोजना का नामः जनपद चामीली के विकास प्रवाह हाए में हाए अमही आटेन भाग के आम क्रिंड भी क्रिंडवाड तक भीट भार्म का निमार्ग

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जन जाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण— पत्र उपखण्डस्तरीय समिति

उपखण्ड हाइ परिक्षेत्र के अन्तर्गत क्रम् से कुष्ड्यगड तह मोद्य भारी का
्रे नार्ड हैं। अरक्षित वन भूमि <u>श्</u> षेशः सावल एवं सायम वनभूमि क्रिक्ट
हे0 वनपंचायत भूमि, अर्थात कुल०%।.aहे0 वनभूमि काहे
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष हस्तान्तरित किये जाने हेत् अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत
वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय समिति (तहसील
की दिनांक 1-04-2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवसी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवंनियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति की अध्यक्षता में आयेजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति विम्नानुसार है।

> अधिशासी अभियन्ता निर्माय खण्ड लोठनि०वि० कर्मप्रयाम

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्या का बढक में स्वागत करत हुए उप
जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत
कराया गया कि क्या भी भारत भारत भारत भारत आही
परियोजना हेत० ४ ।.ьहे0, वनभूमिको
प्रयोक्ता प्रतिन्यी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेत् प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा
गरा। गामसभा के अन्तर्गत बनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि की
सम्बन्धित ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु
प्रचार्वन की अनुभारा की गर्द है।
सम्बन्धित उस प्रभागीय वनाधिकारी जाचेर-अ द्वारा अनुसूचित जनजाति एव अन्य
कार्यापान कारिकामी (तन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 क
पानिसम्ब का साध्य करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वनअधानयन
२००६ के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः प्रयोर्श
में जाम्बारक्कींग वस्थिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकता है।
नैटक में पर्यप्रमति से उपखण्ड 🗲 🗷परिक्षेत्र के अन्तर्गत१६५४४३०५४४
्रे विश्वासन्ति । के निर्माण हेत 🔾 🕄 🧸 है। वनभूमि 📖 📶 🖼
प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित्त प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर
सहमति व्यक्त की गयी।
उपजिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति
तहसील ६५८
जनपदन्या
प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवभयक कार्यवाही हेतु।
उपजिलोधिकारी / अक्ष्यक्ष
. उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति
तहसील ८. ।इ.
जनपद जनपद
नाउँद्वानास्त
अधिशासी अभियन्ता
प्रस्तिक खण्ड लो०नि०वि० कुर्णप्रयाग
(7 1, 1

Office of the District Collector, District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad), constituted under TR \ 2006 was held under the chairmanship of Shri Vine & Kumar Substrict Magistrate. Chamoli (Unarakhand) on 66-04-20/6. At 17.16 Mat Chamoli in which the application claiming rights in villages khadgoli kameda of Tehsil-karanprayag, area Measuring 6.816. Hectares for the Construction of Road kurud to kundbagad Motor Road of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

P.W.D Karanprayag

P.C. Attested

District Magistrate -cumChairman. District Level
Committee. Chamoli 06.04.16

FORM-I (for Linear Projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated: 06/04/2018

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that 3.815. Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Department Uttarakhand for Construction of kurud to kundbagad moter Road. falls within jurisdiction of kurud and kundbagad Villages in ghat Tehsil.

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire .0.810. Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.


Encl: As above

P.C. Attested

Assistant Engineer
P.W.D Karanprayag

District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

वमोली



मोटर पार्ग के निर्भाण हेतु Dumping Zone Proposed Road

। मोटर मार्ग के प्राम कुरुड से कुण्डबगड तक

डिजिटन मप -- जनपद हामोती के अन्तेगत बाट रामड़े

Assistant Engineer P.W.D. Karanprayag